

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य 16.04.2024

थाना जलालाबाद पुलिस का सराहनीय कार्य, जलालाबाद पुलिस को कार्यवाही के दौरान मिली बड़ी कामयाबी

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड, 08 अवैध तमचे तैयार तथा 02 अददबने एवं भारी मात्रा में तमचे बनाने की सामग्री एवं बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों /वांछित/वारण्टी , अवैध शस्त्र एवं उसका निर्माण तथा बिक्री एवं अवैध हथियार का दुरुपोग को रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान के नेतृत्व में लगातार की जा रही कार्यवाही के 01 सक्रिय अपराधी को अवैध शस्त्र , अर्धनिर्मित शस्त्र, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ किया गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 15.04.2024 को रात्रि में थाना जलालाबाद पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम रैपुरा से 04 किमी दूरी पर जंगल में 01 व्यक्ति अवैध शस्त्र का निर्माण कर रहा है । सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दवीश देकर अभियुक्त राकेश पुत्र शिवराम निवासी सिठोली नवादा थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर को अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित करते समय रात्रि करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया , मौके से 05 तमंचा 12 बोर चालू हालत में , 03 अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत में , 02 अदद कारतूस (खोका) 12 बोर , 02 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा, 07 अदद कारतूस खोका 315 बोर , एक अदद अदबना तमंचा 12 बोर , एक अदद तमंचा 315 बोर अदबना, 04 अदद बैरल 12 बोर, 06 अदद बैरल 32 बोर व 01 अदद बैरल 315 बोर , 02 अदद पत्ती लोहा व अवैध शस्त्र बनाने की सामग्री व उपकरण बरामद हुए । अभियुक्त राकेश के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 362/2024 धारा 5/25 A ACT पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।



पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त राकेश पुत्र शिवराम उपरोक्त ने बताया कि मैं यह काम काफी दिनों से कर रहा हूँ। मेरे पास अन्य कोई काम नहीं है, तमंचे बेचकर ही अपने घर का खर्च चलाता हूँ, इस समय चुनाव में तमंचे की मांग बढ़ गयी है, मैं एक तमंचा 3000-4000/रुपये तक में बेच देता हूँ। मैं तमंचा ठीक करने का कार्य भी करता हूँ यदि कोई व्यक्ति तमंचा ठीक कराने आता है तो उसके मैं 500/रुपये लेता हूँ। साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दो, अब मैं यह काम कभी नहीं करूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राकेश पुत्र शिवराम निवासी सिठौली नवादा थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:—

➤ मु0अ0सं0 362/2024 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना जलालाबाद

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 176/2022 धारा 3/5/25 A ACT थाना मिर्जापुर
2. मु0अ0सं0 362/2024 धारा 5/25 A ACT थाना जलालाबाद

बरामदगी का विवरण

1. 05 अवैध तमंचा 12 बोर चालू हालत में
2. 03 अवैध अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत में
3. 02 अदद कारतूस (खोका) 12 बोर
4. 02 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा
5. 07 अदद कारतूस खोका 315 बोर
6. एक अदद अद्धबना तमंचा 12 बोर
7. एक अदद तमंचा 315 बोर अद्धबना,
8. 04 अदद बैरल 12 बोर,
9. 06 अदद बैरल 32 बोर
10. 01 अदद बैरल 315 बोर
11. 02 अदद पत्ती लोहा बरामद
12. अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण (राजन पिन, 03 रेगमाल, 02 साइकिल की तीली, एक फूकनी, 02 किलों कोयला, 2 रेती कवर प्लास्टिक के, 01 पंखा, 01 छैनी, 01 वर्मा, 01 हथौड़ी, 2 सडासी, 01 आरी लोहे की, 01 बसूली, लकड़ी काटने वाली आरी, 01 शूम्मी, 01 पटरी, 01 लकड़ी की खडैल, 01 एंगल लोहे की, लोहे के स्प्रिंग आदि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
2. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
3. का0 2306 गौरव तौमर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
4. का0 1767 बिट्टू कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
5. का0 1753 चन्द्रवीर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर